

अध्याय – 3

डाकघर की सेवायें

डाकघर द्वारा डाक वस्तुओं को सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त डाकघर द्वारा निम्नलिखित बचत योजनाएँ भी चलाई जाती हैं—

डाकघर बचत योजनाएँ :-

स्कीम	देय ब्याज दरें, अवधि	निवेश सीमा और मूल्यवर्ग	कर रियायत सहित विशेषताएँ
डाकघर बचत खाता	व्यक्तिगत/संयुक्त खाते पर 4.0%	न्यूनतम 50/- रु.	चेक सुविधा उपलब्ध है। ब्याज करमुक्त है।
5-वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाता	ब्याज दर 8.40 प्रतिशत 10 रु. के मासिक जमा के साथ 1.4.2012 को अथवा इसके पश्चात् खोल गए पांच वर्षीय	प्रतिमाह न्यूनतम 10/- रुपये अथवा 15/- रुपये के गुणज में कोई राशि। कोई अधिकतम सीमा नहीं।	एक वर्ष के पश्चात् शेष के 50% तक एक आहरण अनुमेय। कुछ शर्तें पूरी करने के अध्यधीन जमाकर्ता की मृत्यु के मामलों में 50/- रुपए के मूल्यवर्ग तक सीमित आवर्ती जमा खातों पर पूर्ण परिपक्वता मूल्य की अनुमति। 6 और 12 महीने के अग्रिम जमा पर रियायत।
डाकघर सावधि जमा खाते	ब्याज वार्षिक रूप से देय लेकिन तिमाही में परिकलित अवधि दर 1 वर्षीय खाता 8.20% 2 वर्षीय खाता 8.30% 3 वर्षीय खाता 8.40% 5 वर्षीय खाता 8.50% 01.04.2012 से लागू	न्यूनतम 200 रुपए और उसके गुणज में। कोई अधिकतम सीमा नहीं	व्यक्तिगत तौर पर खाता खोला जा सकता है। पांच वर्षीय सावधि जमा खाते 1.4.2007 से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के अन्तर्गत छूट के पात्र है।

डाकघर मासिक आय खाता योजना	01.04.2012 से से 8.50 प्रतिवर्ष	एकल खाते में 1500/— रुपए के गुणज से अधिकतम 4.5 लाख	परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है। कुछ शर्तों के साथ, एक वर्ष के पश्चात् परिपक्वता पूर्व भुनाया जा सकता है। 1.12.2011 को अथवा उसके पश्चात् खोले गए मासिक आय योजना (M.I.S.) खातों पर परिपक्वता की स्थिति में कोई बोनस देय नहीं हैं।
15 वर्षीय लोक भविष्य निधि खाता	01.04.2012 से 8.80% प्रतिवर्ष	एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500/— तथा अधिकतम 1,00,000/— रु.। जमाएं एकमुश्त अथवा 12 किश्तों में की जा सकती है।	जमाएं आयकर अधिनियम की धारा 80सी के अन्तर्गत आय में से कटौती की पात्र हैं। ब्याज पूर्णतया करमुक्त है। सातवें वित्त वर्ष से प्रत्येक वर्ष आहरण की अनुमति है। तीसरे वित्त वर्ष से ऋण सुविधा उपलब्ध है। कोर्ड डिब्री आर्डर के अन्तर्गत अटैचमेंट नहीं।
राष्ट्रीय बचत पत्र (IX निर्गम)	ब्याज दर 8.90%। 1.4.2012 को अथवा उसके बाद खरीदे गए 100 रु. के बचत पत्र का परिपक्वता मूल्य दस वर्ष के पश्चात् 238.87 रु. होगा	न्यूनतम 100— रुपए। अधिकतम सीमा नहीं। 100/—, 500/—, 1000/—, 5000/— तथा 10000/— रु. के मूल्यवर्ग में उपलब्ध।	एक धारक प्रकार का बचत—पत्र वयस्क द्वारा स्वयं के लिए अथवा किसी अवयस्क की ओर से अथवा अवयस्क के लिए खरीदा जा सकता है। इन बचत—पत्रों पर प्राप्त ब्याज पर

			आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43, नियम 15 में विनिर्धारित वार्षिक प्रोद्भुत राशि के आधार पर) के अंतर्गत कर देय होगा, परन्तु निर्मोचन मूल्य के भुगतान के समय कर की कटौती नहीं की जाएगी।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना	9.30 प्रतिवर्ष, पहली बार में 31 मार्च/30 सितंबर/31 दिसम्बर को जमा की तिथि से देय और उसके पश्चात् ब्याज 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर और 31 दिसम्बर को देय होगा।	खाते में केवल एक जमा 1000/- रु. के गुणज में अधिकतम, पन्द्रह लाख से अधिक नहीं।	परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है। जमाकर्ता व्यक्तिगत क्षमता में अथवा पति/पत्नी के साथ संयुक्त रूप से एक से अधिक खाते प्रचालित कर सकता आयु 60 वर्ष अथवा इससे अधिक और खाता खोलने की तिथि को अधिवर्षिता की आयु को प्राप्त होने पर या अन्यथा रूप में सेवानिवृत्त व्यक्ति के मामलों में आयु 55 वर्ष से अधिक परन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो, बशर्ते कि यह खाता सेवानिवृत्ति के लाभ प्राप्त होने के एक महीने के अंदर खोला गया हो। परिपक्वता पूर्व खाताबंदी की अनुमति

एक वर्ष की अवधि पूरी होने के उपरान्त 1.5% ब्याज की कटौती पर तथा 2 वर्ष के उपरान्त 1% ब्याज की कटौती के आधार पर दी जाती है। यदि ब्याज की राशि एक वर्ष में 10,000/- रु. से अधिक है तो ब्याज की राशि पर टी.डी.एस.की कटौती की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत किया गया निवेश 1.4.2007 से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के अन्तर्गत लाभ का पात्र है।

डाकघर सेवार्ये :-

पंजीकरण

उद्देश्य : ग्राहकों की डाक वस्तुओं का सुरक्षित पारेषण करना। उन सभी चारणों पर एक रेकार्ड रखा जाता है जहाँ-जहाँ से डाक वस्तु होकर जाती है। इस इसके अलावा पंजीकृत डाक वस्तुओं को विशेष सावधानी के साथ पारेषित किया जाता है। निम्नलिखित डाक वस्तुएँ जिन्हें पंजीकृत किया जा सकता है।

1. पत्र
2. पत्र कार्ड
3. पोस्ट कार्ड
4. पुस्तक एवं पैटर्न पैकेट
5. अंध साहित्य पैकेट
6. समाचार पत्र की दरों के पूर्व प्रदत्त संदाय के पार्सलों और समाचार पत्रों को किसी भी डाकघर में पंजीकृत किया जा सकता है।

निम्नलिखित के लिए पंजीकरण अनिवार्य है :-

1. कोई भी पार्सल जिसका भार 4 किलोग्राम से अधिक है।
2. कोई भी बीमित डाक वस्तु।
3. ऐसा कोई भी पार्सल जिस पर ऐसे स्थान का पता लिखा है जिसके लिए सीमा शुल्क घोषणा अपेक्षित है।
4. ऐसी कोई भी डाक वस्तु जिसमें निम्नलिखित स्टैम्प लेबल, चैक, हुंडी, बैंक नोट, पैक पोस्ट बिल, बिल-आफ-एक्सचेंज शामिल हों।
5. कोई भी डाक वस्तु जिसके आवरण पर 'पंजीकृत' शब्द लिखा हुआ है।
6. ऐसी कोई पंजीकृत डाक वस्तु जिसको वितरित किए जाने के उपरान्त दुबारा डाक से प्रेरित किया जाता है।
7. कोई भी मूल्य देय डाक वस्तु।

डाक वस्तुओं का पंजीकृत करने का तरीका :-

1. जिस वस्तु का पंजीकरण किया जाना है, उसे डाकघर की खिड़की पर प्रस्तुत न करना होगा। रसीद उस व्यक्ति को दी जाएगी जो पंजीकरण हेतु वयस्क को पंजीकृत वस्तुओं को डाक से भेजने के लिए निर्धारित कार्य-समय के दौरान डाकघर की खिड़की पर प्रस्तुत करता है।
2. ऐसी निम्नलिखित वस्तुओं को भी पंजीकरण हेतु स्वीकार नहीं किया जाएगा:
(क) जहाँ इस आशय के शब्द का उल्लेख होगा कि इसे किसी निश्चित राशि के लिए बीमाकृत किया गया है अथवा किया जाना है अथवा यह कि इसमें कोई मूल्यवान अंतर्वस्तुएं हैं जब तक कि इसको भी बीमाकृत नहीं किया जाता है, अथवा
(ख) जहाँ ऐसे शब्द को काट दिया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय व पंजीकृत वस्तुओं के संबंध में दिया जाने वाला मुआवजा हानि/पूर्ण/चोरी पूर्ण क्षति के मामले में भारत के डाकघरों में बुक किए गए अंतर्राष्ट्रीय पंजीकृत वस्तु के संबंध में नियमानुसार क्षतिपूर्ति का प्रावधान है।

स्पीड पोस्ट

स्पीड पोस्ट, घरेलू एक्सप्रेस उद्योग के बाजार में अग्रणी है। सम्पूर्ण देश एवं विश्व में पत्रों, दस्तावेजों और पार्सलों की तीव्र एवं समयबद्ध वितरण सेवाएँ प्रदान करने के लिए, डाक विभाग द्वारा अगस्त 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की गई। पिछले 20 वर्षों के दौरान, यह एक्सप्रेस उद्योग के बाजार में अग्रणी रहा है जिसका मासिक वोल्यूम 1.4 करोड़ से अधिक है। स्पीड पोस्ट ने एक नए युग का प्रारंभ किया जब 25 रु. दर से पूरे भारत में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लिए "एक भारत, एक दर" योजना शुरू की गई। अब स्पीड पोस्ट सब को हर जगह 'धन का मूल्य' प्रदान करती है। स्पीड

पोस्ट के द्वारा 50 ग्राम तक के स्थानीय स्पीड पोस्ट को सेवा कर सहित 12 रु. में वितरित किया जाता है। देश के किसी भी स्पीड पोस्ट बुकिंग केन्द्र में जाए और 'संचार का आनंद' लें।

कारपोरेट ग्राहकों और नियमित प्रयोक्ताओं के लिए, स्पीड पोस्ट 'होम कनेक्शन' क्रेडिट सुविधा, ऑनलाइन ट्रेकिंग, लेखा प्रबंधन और व्यक्तिगत सेवाएँ प्रदान करता है।

स्थानीय स्पीड पोस्ट 12 रु. की दर से

'एक भारत एक दर' स्पीड पोस्ट 25 रु. दर से।

स्पीड पोस्ट: तीव्रगति डाक सेवा

स्पीड पोस्ट भारत के 1200 से अधिक शहरों को जोड़ती है जिनमें 290 स्पीड पोस्ट केन्द्र राष्ट्रीय नेटवर्क और करीब 1000 स्पीड पोस्ट केन्द्र राज्य नेटवर्क में हैं। नियमित प्रयोक्ताओं के लिए स्पीड पोस्ट संविदात्मक सेवा के तहत भारत में कहीं भी वितरित करता है। स्पीड पोस्ट मनीबैक गारंटी प्रदान करती है जिसके अंतर्गत यदि पारेषित माल प्रकाशित वितरण मानदण्ड के अन्तर वितरित नहीं किया तो स्पीड शुल्क वापस कर दिया जाएगा।

स्पीड पोस्ट सूचना, शिकायत तथा समस्या का पता लगाना

शहर	दूरभाष सं.	दूरभाष सं. प्रबन्धक	ई-मेल आईडी
दिल्ली	1800 119888	98680 21828	spc.delhi@indiapost.gov.in
मुम्बई	022 2615 6125	022 2615 6093	spc.mumbai@indiapost.gov.in
चेन्नई	044 2829 2001	94446 30016	spc.chennai@indiapost.gov.in
कोलकाता	033 2212 0476	033 2212 1160	spc.kolkata@indiapost.gov.in
बंगलौर	080 2286 7302	080 2289 2045	spc.bangalore@indiapost.gov.in
हैदराबाद	040 2346 3922	040 2346 3929	spc.hyderabad@indiapost.gov.in
अहमदाबाद	1800 233 7999	079 2754 0419	spc.ahmedabad@indiapost.gov.in
पुणे	020 2612 1570	020 2612 1528	spc.pune@indiapost.gov.in

स्पीड पोस्ट होम कलेक्शन: ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के लिए स्पीड पोस्ट कुछ कस्बों में ऑनलाइन कलेक्शन और नियमित कलेक्शन के माध्यम से ग्राहकों को परिसर से कलेक्शन की सुविधा प्रदान करते हैं।

स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा

डाक विभाग और विदेश मंत्रालय ने मिलकर पासपोर्ट प्रदान करने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक अनूठा सहयोग किया है। आवेदकों को स्पीड पोस्ट केन्द्रों पर उपलब्ध पासपोर्ट आवेदन फार्म खरीदने होते हैं। फिर उन्हें भरकर शुल्क के साथ जमा कराना होता है। स्पीड पोस्ट केन्द्र फार्म की जांच करेंगे, आगे की प्रोसेसिंग और पासपोर्ट जारी करने के लिए उसे निर्दिष्ट पासपोर्ट कार्यालय को प्रेषित करेंगे। यह सेवा केवल नए पासपोर्ट को जारी करने के लिए उपलब्ध है न कि पासपोर्ट के नवीनीकरण करने के लिए।

स्पीड पोस्ट अंतर्राष्ट्रीय सेवा

यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन द्वारा समर्थित, ईएमएस स्पीड पोस्ट 97 विदेशों को किफायती और शीघ्र सेवा प्रदान करते हैं। चाहे वह महत्वपूर्ण पत्र हो अथवा यूनिवर्सिटी का आवेदन फार्म, निर्यात किया जाने वाला पारेषित माल हो अथवा व्यावसायिक सैम्पल, स्पीड पोस्ट अन्तर्राष्ट्रीय सेवा उसे सावधानी से वितरित करेगी।

स्पीड पोस्ट अंतर्राष्ट्रीय सूचना, शिकायत तथा समस्या का पता लगाना:—

स्पीड पोस्ट अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित शिकायत के लिए कृपया गेटवे केन्द्र दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा चेन्नई से सम्पर्क करें।

शहर	दूरभाष सं.	दूरभाष सं. प्रबन्धक	ई-मेल आईडी
दिल्ली	1800 119888	98680 21828	spc.delhi@indiapost.gov.in
मुम्बई	022 2615 6125	022 2615 6093	spc.mumbai@indiapost.gov.in
चेन्नई	044 2231 3238	94446 30016	spc.chennai@indiapost.gov.in
कोलकाता	033 2212 0476	033 2212 1160	spc.kolkata@indiapost.gov.in

घरेलू स्पीड पोस्ट वस्तुओं के संबंध में किया जाने वाला भुगतान:

स्पीड पोस्ट विलम्ब होने के स्थिति में लगने वाला शुल्क:

गुम/समग्र चोरी/समग्र नुकसान—स्पीड पोस्ट शुल्क का दुगना अथवा 1000 रु. जो भी कम हो।

अंतर्राष्ट्रीय ईएमएस वस्तुओं के संबंध में किया जाने वाले भुगतान:—

भारत के डाकघरों में बुक किए गए अंतर्राष्ट्रीय ईएमएस वस्तुओं के गुम होने, समग्र चोरी/समग्र नुकसान होने के मामले में नियमानुसार क्षतिपूर्ति का प्रावधान है।

स्पीड पोस्ट खाता खोलना:

कारपोरेट ग्राहकों तथा नियमित प्रयोक्ताओं के लिए स्पीड पोस्ट कई मूल्य-संवर्धि सेवाएँ जिसमें परिसरों से डाक प्राप्त करने की सुविधा, मासिक बिलिंग सुविधा, खाता प्रबंधन सुविधा, शिपमेंट के आयात/निर्यात प्रक्रियाओं में सहायता, कारपोरेट ट्रेकिंग सुविधा, वॉल्यूम छूट इत्यादि शामिल है। जब आप स्पीड पोस्ट खाता खोलते हैं तो आप अपनी जरूरतों के अनुसार सुविधा तथा कस्टमाइज्ड सोल्यूशन का चयन करते हैं। स्पीड पोस्ट के खाताधारक होने के नाते आपके सभी मामलों में आपके खातों का प्रबंधन करने में विपणन कार्यपालक की सहायता प्राप्त होगी।

अभ्यास प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. डाकघर बचत संयुक्त खाते में ब्याज दर होती है :—
(अ) 3% (ब) 4%
(स) 5% (द) 6%
2. डाकघर सावधि जमा खाते की न्यूनतम राशि है :—
(अ) 100 (ब) 200
(स) 300 (द) 400
3. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की अवधि है :—
(अ) 2 वर्ष (ब) 3 वर्ष
(स) 4 वर्ष (द) 5 वर्ष
4. स्पीड पोस्ट की सेवा डाक विभाग द्वारा शुरू की गई थी :—
(अ) 1972 (ब) 1978
(स) 1982 (द) 1986

निबन्धात्मक प्रश्न

1. स्पीड पोस्ट दर्ज करवाने की विधि को समझाइये।
2. डाकघर मासिक आय खाता योजना को समझाइये।

उत्तरमाला (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

1. (ब) 2. (ब) 3. (द) 4. (द)